प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिराज उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र श्री निसार निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9688/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-04.01.2017 दिनांक 28.03.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिराज उर्फ सिराजुद्दीन पुत्र श्री निसार, निवासी-ग्राम-चन्दौली, थाना-जैदपुर, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पिता की हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 01.01.1983 को 10 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर हथगोले, देशी पिस्टल व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-438/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 22.08.1984 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.1988 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2016 तक 22 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 27 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त मा0 उच्चतम न्यायालय से दोषमुक्त, 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है तथा 01 सहअभियुक्त बिकलांगता के आधार पर दिनांक 12.08.1988 को रिहा। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि 03 सहअभियुक्त अभी जेल में है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सिराज उर्फ सिराजुद्दीन (बन्दी संख्या-85/12) पुत्र श्री निसार, निवासी-जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-495/2017/649/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in